ए.

राज कुमार और अन्य

बनाम

सुरिंदर पाल शर्मा

(2019 की सिविल अपील संख्या 9683)

बी.

17 दिसंबर, 2019

[एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम-क्लू (सी) से एस।63 – वसीयत-साक्ष्य अधिनियम, 1872। 68 और 71-'एच' ने दो कमरों के आवास के लिए आवेदन किया-'एच' की मृत्यु हो गई-'एच' की पत्नी को उक्त दो कमरों के मकान का आवंटन पत्र जारी किया गया-इसके बाद, 'एच' की पत्नी की भी मृत्यु हो गई-'एच' और उसकी पत्नी के चार बच्चे थे-दो बेटियां 'आर' और 'पी' और दो बेटे 'एस' और 'एम'-बेटी 'आर' ने मकान के विभाजन और घोषणा की डिक्री के लिए विचारण न्यायालय दायर किया कि वह और प्रतिवादी यानी उसके भाई-बहन किराये में 1/4 वें अनिर्दिष्ट और अविभाजित हिस्से के मालिक थे-मुकदमे को 'एस' द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने अपने लिखित बयान में पत्नी द्वारा कथित रूप से निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत का प्रस्ताव किया था।68 साक्ष्य अधिनियम-उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःतत्काल मामले में, वसीयत को 'आर' और 'एमएन' के पति 'आर. के.' नामक दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया था, अधिवक्ता-'एस' ने कहा कि 'एम. एन.' की तामील नहीं की जा सकती थी और इसलिए इसकी जांच नहीं की गई थी और 'आर. के.' को तलब या जांच नहीं की गई थी क्योंकि वह 'आर' का पति था-उच्च न्यायालय ने तदनुसार माना है कि वसीयत पंजीकृत किया जाना एस के संदर्भ में साबित हुआ था।71 साक्ष्य अधिनियम का-उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष एस का सहारा लेने के लिए अस्वीकार्य है।71 गवाह 'आर. के.' की जांच के बिना साक्ष्य अधिनियम की अनुमति नहीं है-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 'आर. के.' 'आर.' का पति है या नहीं -साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 एक बार और यदि सभी प्रमाणक गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करते हैं या याद नहीं करते हैं, यानी

वसीयत-चूंकि, 'आर. के.' को तलब नहीं किया गया था और जांच नहीं की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने इनकार किया था या

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

872

873

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

वसीयत के निष्पादन को याद नहीं किया-इसके अलावा, 'एस' ने 'आर' द्वारा एक कानूनी नोटिस के जवाब में वसीयत का कोई संदर्भ नहीं किया था, वसीयत के बचाव को उनके लिखित बयान में पहली बार लिया गया था-वसीयत को विचारण न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी क्योंकि 'आर' को मुकदमे के अपास्त करना के दौरान इसके बारे में पता चला था-इसके अलावा, वसीयतकर्ता, 'एस' और 'आर' की मां एक अनपढ़ महिला थी-भले ही वसीयतकर्ता और गवाहों के हस्ताक्षर स्वीकार किए जाते हैं, 'अन्य सबूत' को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 'एस' की मां और उनके परिवार के सदस्यों ने निष्पादित दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा-वसीयत के निष्पादन पर वैध रूप से संदेह करने और सवाल उठाने के लिए पर्याप्त और अच्छे कारण हैं-इसलिए।

बी.

सी.

साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss.68 और 71-एसएस का प्रभाव।68 और 71 एक वसीयत के मामले में-आयोजितःभारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा गवाह के रूप में वसीयत के सत्यापन की अपेक्षा करती है और उसे अनिवार्य करती है।68 साक्ष्य अधिनियम उन लोगों को रियायत देता है जो कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जांच करके कानून के न्यायालय में एक वसीयत साबित करना और स्थापित करना चाहते हैं जो वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता है। दो गवाहों द्वारा सत्यापन और धारा (ग) से धारा (स) द्वारा अनुध्यात तरीके से इसका निष्पादन।63 भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम-तथापि, जहां परीक्षण किया गया एक प्रमाणित करने वाला गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, तो अन्य उपलब्ध प्रमाणित करने वाले गवाह को अपने साक्ष्य के पूरक के रूप में बुलाया जाना चाहिए ताकि एस द्वारा अनिवार्य प्रमाण की आवश्यकता का पालन करने के लिए इसे सभी मामलों में पूरा किया जा सके।68 साक्ष्य अधिनियम-एस का प्रभाव।71 साक्ष्य अधिनियम की मांग तब की जा सकती है जब बुलाए जा रहे सत्यापित करने वाले गवाह या तो अपने हस्ताक्षर से इनकार करने, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से इनकार करने या दस्तावेज़ के निष्पादन के बारे में खराब स्मृति के कारण वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहे हों -धारा 71 का कोई आवेदन नहीं है जब केवल एक प्रमाणक गवाह जिसे बुलाया गया था और परीक्षण किया गया था, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है और अन्य उपलब्ध प्रमाणक गवाह को तलब नहीं किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** प्रत्यर्थी 'एस' द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 'एमएन' अधिवक्ता को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए समन/नोटिस जारी किया गया था**,** लेकिन उन्हें पेश नहीं किया जा सका और इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की गई।**'**आर**.** के**.** 'यह प्रस्तुत किया गया है**,** उसे तलब या पूछताछ नहीं की गई थी क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि' आर 'का पति था और

एच.

वसीयत के निष्पादन का समर्थन नहीं किया होगा।उच्च न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकृत की जा रही वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा **71** के संदर्भ में साबित हुई थी। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष अस्वीकार्य है**,** क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा **71** का सहारा लेना 'आर**.** के**.**' की जांच के बिना अस्वीकार्य है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 'आरके' 'आर' का पति है या नहीं।साक्ष्य अधिनियम की धारा **71** एक बार और यदि सभी प्रमाणक गवाह दस्तावेज़**,** यानी वसीयत के निष्पादन से इनकार करते हैं या याद नहीं करते हैं**,** तो लागू होगी।उस स्थिति में**,** निष्पादन को अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है। प्रत्यर्थी स्वीकार करता है कि 'आर**.** के**.**' हालांकि एक गवाह को तलब नहीं किया गया था

और गवाह के रूप में गवाही देने के लिए कहा गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 'आर. के.' ने एक प्रमाणक गवाह के रूप में वसीयत के निष्पादन से इनकार किया था या उसे याद नहीं था।[पैरा **23] [891-**जी**; 892-**ए-सी**]**

बी.

सी.

2. 'एस 'ने कानूनी नोटिस के अपने जवाब में वसीयत का प्रस्ताव और उल्लेख नहीं किया था, जिसका बचाव उन्होंने अपने लिखित बयान में पहली बार किया था।यह 'एस' की प्रतिपरीक्षा से भी स्पष्ट है जिसमें उन्होंने सही के रूप में स्वीकार किया था कि वसीयत को 'आर' द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी क्योंकि उन्हें वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान वसीयत के बारे में पता चला था।'एस 'इस प्रकार स्वीकार करता है कि एक लिखित वसीयत के माध्यम से उसके पक्ष में दिया गया दान ज्ञात नहीं था या' आर 'के ज्ञान में नहीं था,' आर. के 'के रूप में एक आश्चर्यजनक कथन' आर 'का पति है।अपनी जिरह में 'एस' का बयान भी उतना ही दिलचस्प है कि उसने जवाब **(**कानूनी नोटिस**)** का मसौदा तैयार करते समय अपने वकील को सूचित नहीं किया था कि वह अपनी मां द्वारा निष्पादित वसीयत के कब्जे में था।'एस 'ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि **1972** में, वह छठी कक्षा में पढ़ रहा था और मुश्किल से **11** से **12** वर्ष की आयु का था **(**यह कथन प्रदर्शनी डीडब्ल्यू**-1/**पी**-3** में' एस 'की आयु के साथ भिन्न है लेकिन हम मौखिक गवाही में बयान को स्वीकार करेंगे**)**।'एस 'ने दावा किया था कि वह साइकिलों की मरम्मत करेगा और तिमाही की किश्तों के भुगतान में योगदान दिया था।यह उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है कि हम वसीयत, उसके शब्दों और सामग्री की जांच करेंगे।[पैरा **26] [893-**बी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. कथित रूप से वसीयत करने वाली वसीयत को विचित्र रूप से वसीयत विलेख के रूप में वर्णित किया गया है।यह संभवतः बताता है कि 'एस' ने अपने जवाब में यह दावा क्यों किया था कि वह अपनी मां के जीवनकाल में भी मकान का मालिक था।यह इस संदर्भ में है कि यह ए

एच.

न्यायालय ने 'आर' और 'एस' की गवाही के विभिन्न हिस्सों को पढ़ा है**;** नोटिस और यह मानने के लिए जवाब कि इसमें गंभीर संदेह है कि क्या 'विल डीड' को निष्पादित किया गया था और यह एक 'विल' है जैसा कि इसका तात्पर्य है।पोती में से किसी एक की उसकी इच्छा के अनुसार शादी को चुनौती नहीं दी जाती है।वसीयतकर्ता एक अनपढ़ महिला थी।भले ही इस न्यायालय को वसीयतकर्ता और गवाहों के हस्ताक्षर स्वीकार करने हों**,** लेकिन यह न्यायालय "अन्य सबूतों" की अनदेखी नहीं कर सकता है कि 'एस' और 'आर' की मां और उनके परिवार के सदस्य निष्पादित दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाए थे।वसीयत के निष्पादन पर वैध रूप से संदेह करने और उस पर सवाल उठाने के पर्याप्त और अच्छे कारण हैं**,** जिसे 'एस'**,** वसीयत के प्रस्तावक के रूप में**,** इस न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए पीछे हटाने और हटाने में सक्षम नहीं रहा है कि वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था।इन कारणों से**,** यह न्यायालय यह मान लेगा कि वसीयत का निष्पादन साक्ष्य अधिनियम की धारा **71** के संदर्भ में "अन्य साक्ष्य" द्वारा साबित नहीं हुआ है। **[**पैरा **28] [894-**एफ**-**एच**; 895-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

जगदीश चंद शर्मा बनाम नारायण सिंह सैनी (मृत)

डी.

एल. आर. और अन्य के माध्यम से (2015) 8 एस. सी. सी. 615:[2015] 6

एस**.** सी**.** आर**. 397;** जानकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव

कदम (2003) 2 एससीसी 91:[2002] 5 पूरक।एस. सी. आर. 175-पर निर्भर।

एम. बी. रमेश (मृत) एल. आर. बनामके. एम. वीरजे उर्स (मृत)

ई.

एल. आर. और अन्य द्वारा (2013) 7 एस. सी. सी. 490:[2013] 8 एससीआर

573; एच**.** वेंकटचाला अयंगर बनाम बी**.** एन**.** थिम्माजम्मा

और अन्य ए. आई. आर 1959 एस. सी 443:[1959] पूरक।एससीआर

426; जसवंत कौर बनाम अमृत कौर और अन्य **(1977) 1**

एससीसी 369:[1977] 1 एस. सी. आर. 925; सुरेंद्र पाल और अन्य।

एफ.

बनामडॉ**. (**श्रीमती**)** सरस्वती अरोड़ा और एक अन्य **(1974) 2** एससीसी

600 :[1975] 1 एस. सी. आर. 687; रवीन्द्र नाथ मुखर्जी

और एल. आर. द्वारा एक अन्य बनाम पंचानन बनर्जी (मृत)।

और अन्य (1995) 4 एस. सी. सी. 459; बेंगा बेहरा और

एक और बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य **(2007) 9**

एससीसी 728:[2007] 6 एस. सी. आर. 853; धरम सिंह बनाम एसो और एक अन्य (1990) पूरक।एस. सी. सी. 684-संदर्भित।

जी.

विष्णु रामकृष्ण बनाम नाथू विट्ठल और अन्य ए**.** आई**.** आर**. 1949** बी**.** ओ**.** एम**. 266;** धीरा सिंह बनाम मोती लाल और अन्य **63** भारतीय। कैस। **266;** माउंट। मंकी कौर बनाम हंसराज सिंह

और अन्य ए. आई. आर. 1938 पैट 301-संदर्भित।

एच.

876 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 18 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

[2013] 8 एससीआर **573**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1959] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 426** पैरा **13 [1977] 1** एस**.** सी**.** आर**. 925** पैरा **14 [1975] 1** एस**.** सी**.** आर**. 687** पैरा **14 (1995) 4** एस**.** सी**.** सी**. 459** पैरा **14 [2015] 6** एस**.** सी**.** आर**. 397** पैरा **15 [2002] 5** सप्लीमेंट पर निर्भर करता है।एस**.** सी**.** आर**. 175** पैरा **18 [2007] 6** एस**.** सी**.** आर**. 853** पर निर्भर था जिसे पैरा **22 (1990)** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।पैरा **22** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** सी**. 684**

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9683।

डी.

2018 के आर. एफ. ए. सं. 234 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

राजेश श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार आहूजा, सुश्री सुरेश कुमारी, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुशल कुमार, सुश्री सी. रुबावती, हर्ष आहूजा, निशांत कुमार, एम. ए. चिन्नासामी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

ई.

न्याय

1. छुट्टी दे दी गई।

एफ.

2. विभाजन पर दिल्ली में प्रवास के कारण, हरबंस लाल ने एक विस्थापित व्यक्ति होने के नाते आवेदन दिनांक 13.04.1958 के माध्यम से, जिसे प्रदर्शनी DW-1/P-3 के रूप में चिह्नित किया गया था, दिल्ली नगर निगम के साथ गुर मंडी, सिविल लाइन्स, दिल्ली में दो कमरों के आवास के लिए आवेदन किया था।इस आवेदन में लिखा है कि हरबंस लाल एक दुकानदार था, सुहागवंती उसकी पत्नी थी और मदन लाल, पूरन कुमारी, सुरिंदर कुमार और बेबी उसके बच्चे थे।मदन लाल को सेवा में बताया गया था और अन्य सभी बच्चों को आश्रित बताया गया था।

जी.

3. 1965 में हरबंस लाल की मृत्यु हो गई।

एच.

877

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

ए.

4. स्वर्गीय हरबंस लाल की पत्नी सुहागवंती देवी को गुरु-की-मंडी में पुनर्विकास योजना के तहत डुप्लेक्स प्रकार के किराये के लिए 1 करोड़ रुपये का आवंटन पत्र जारी किया गया था। 14, 325/-, जो राशि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 20 समान वार्षिक किश्तों में देय थी और चूक पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज।24 प्रतिशत की दर से संग्रह शुल्क भी देय था।आबंटन पत्र में एक शर्त थी कि आबंटित व्यक्ति को 3 दिनों के भीतर क्वार्टर संख्या 27 नई पदम चंद भूमि के खाली कब्जे को सौंपना होगा।आवंटन पत्र हालांकि एक चिह्नित प्रदर्शनी नहीं है, एक निर्विवाद दस्तावेज है।

बी.

5. सुहागवंती देवी की मृत्यु 10.10.1999 पर हुई।

सी.

6. हरबंस लाल की बेटी राज कुमारी, जो तब तक शादीशुदा थी, ने 1 तारीख को या उसके आसपास मकान के विभाजन और घोषणा की डिक्री के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वह और प्रतिवादी सुरिंदर पाल शर्मा, पूरन देवी नी कुमारी और संतोष रानी (मदन लाल की विधवा जो तब तक समाप्त हो चुकी थी), मकान में 1/4 वें अनिर्दिष्ट और अविभाजित हिस्से के मालिक थे।लेखा प्रस्तुत करने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री के लिए भी अनुरोध किया गया था।

डी.

7. इस मुकदमे का विरोध सुरिंदर पाल शर्मा ने किया था, जिन्होंने अपने लिखित बयान में एक पंजीकृत वसीयत का प्रस्ताव रखा था, जिसे कथित रूप से सुहागवंती द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसमें मकान पूरी तरह से और पूरी तरह से उन्हें विरासत में दिया गया था।यह कहा गया था कि राज कुमारी के पति रमेश कुमार वसीयत के प्रमाणक गवाह थे।सेवा के बावजूद पूरन देवी और संतोष रानी ने अपने लिखित बयान दर्ज नहीं कराए।मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संतोष रानी की अवधि समाप्त हो गई और उनकी बेटी वीना मल्होत्रा ने उनका प्रतिनिधित्व किया।पूरन देवी की भी मृत्यु हो गई है और अब उनकी बेटी मीनाक्षी शर्मा उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं।8. निचली विचारण न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 2 के फैसले के माध्यम से विभाजन का एक प्रारंभिक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि सुरिंदर पाल शर्मा द्वारा दिनांक आई. डी. 1 की कथित पंजीकृत वसीयत को साबित करने में विफल रहने के बाद चार भाई-बहन मकान में एक-एक चौथाई हिस्से के हकदार थे।फैसले में कहा गया कि सुरिंदर पाल शर्मा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत की पुष्टि करने वाले गवाहों में से किसी की भी जांच करने में विफल रहे थे और इसलिए, यह साबित नहीं कर सके कि सुहागवंती ने वसीयत की सामग्री को समझने के बाद अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस पर हस्ताक्षर किए थे।यह भी माना गया कि सुरिंदर पाल शर्मा की गवाही के अनुसार डी. डब्ल्यू.-1/2 को प्रदर्शित करने वाली वसीयत को केवल एक गवाह द्वारा सत्यापित किया गया था और इसलिए,

ई.

एफ.

जी.

एच.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) की अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं हुई।निचली विचारण न्यायालय ने वसीयत का अध्ययन करते हुए कहा कि अधिवक्ता श्री एम. एन. शर्मा ने एक मसौदा तैयार करने वाले और वकील के रूप में हस्ताक्षर किए थे, न कि एक प्रमाणक गवाह के रूप में।यह देखा गया कि वसीयत का केवल पंजीकरण, जैसा कि कश्मीरी गेट के उप-पंजीयक के कार्यालय में काम करने वाले यू. डी. सी. परवीन कुमार राणा द्वारा साबित किया गया है, जिन्होंने डी. डब्ल्यू.-3 के रूप में अपदस्थ किया है, वसीयत को साबित नहीं करेगा।

बी.

9. पीड़ित, सुरिंदर पाल शर्मा ने 2018 के आर. एफ. ए. संख्या 234 के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी, और दिनांक 09.03.2018 के विवादित फैसले से सफल हो गया है।नतीजतन, निचली विचारण न्यायालय के दिनांक 17.01.2018 के फैसले को अपास्त करना दिया गया है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है।

सी.

10. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वसीयत को दो गवाहों रमेश कुमार और श्री एम. एन. शर्मा, अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया था और इस प्रकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) की आवश्यकता को पूरा करता है। यह भी देखा गया कि सुरिंदर पाल शर्मा ने न्यायालय के नोटिसों के माध्यम से प्रमाणित करने वाले गवाह श्री एम. एन. शर्मा, अधिवक्ता को बुलाने के सभी प्रयास किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए।साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के आलोक में, वसीयत को सिद्ध माना जाना चाहिए क्योंकि यह पंजीकृत किया गया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान लागू होगा।तदनुसार, यह माना जाना चाहिए कि उप-पंजीयक, जो एक सार्वजनिक पद धारण कर रहे थे, ने यह सुनिश्चित करने के बाद वैध रूप से पंजीकरण किया था कि वसीयत को श्री एम. एन. शर्मा, अधिवक्ता सहित दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया था।रिलायंस को एम. बी. रमेश (मृत) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर एल. आर. बनाम.के. एम

डी.

ई.

वीरजे उर्स **(**मृत**)** एल**.** आर**.** द्वारा और अन्य **1** जो हम बाद में करेंगे

विज्ञापन दें।हमारे सामने पहले अपीलार्थी , अर्थात् राज कुमारी, की इस दलील को कि सुरिंदर पाल शर्मा ने नगर निगम के रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन प्राप्त करने के लिए अपने जाली हस्ताक्षर किए थे, यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया कि सबसे अच्छा यह दिखाएगा कि उत्परिवर्तन अवैध

था, लेकिन इसका वसीयत के सत्यापन और वैधता के सवाल पर कोई असर नहीं होगा।11. राज कुमारी, मीनाक्षी शर्मा और वीणा मल्होत्रा ने इस विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को इस अनुरोध के साथ प्राथमिकता दी है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन के प्रारंभिक आदेश को बहाल किया जाना चाहिए और 2018 के आर. एफ. ए. संख्या 234 में पारित उच्च न्यायालय के विवादित फैसले अपास्त करना कर दिया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

1 (2013) 7 एससीसी 490 ए

879

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

12. हम सबसे पहले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के तहत वसीयतों के निष्पादन और प्रमाण से संबंधित कानून की व्याख्या करेंगे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 का खंड (सी) इस प्रकार हैः

“63. विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन।––प्रत्येक परीक्षणकर्ता, नहीं किया जा रहा है

किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक युद्ध में लगे हुए सैनिक, या इस तरह से कार्यरत या लगे हुए एयरमैन, या समुद्र में एक नाविक, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत का निष्पादन करेगा -

बी.

(ए)-(बी) *

*

*

(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा है या वसीयत पर अपना निशान लगाया है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों,

और किसी विशेष प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।" खंड (ग) के अधिदेश के अनुसार, एक वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, जिनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर देखना चाहिए था या वसीयत पर अपना निशान लगाना चाहिए था या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश से वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखना चाहिए था या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न की व्यक्तिगत स्वीकृति या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए थे।वसीयत पर वसीयतकर्ता की उपस्थिति में गवाह द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह मौजूद हों।प्रमाणीकरण के किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं है।इस प्रकार, कानून में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि वसीयतकर्ता को अनिवार्य रूप से केवल प्रमाणक गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना चाहिए या यह कि प्रमाणक गवाहों को वसीयत पर अपने हस्ताक्षर एक साथ, यानी एक ही समय में, एक दूसरे और वसीयतकर्ता की उपस्थिति में करने चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) की सख्त आवश्यकताओं की आवश्यकता और आवश्यकता को कई निर्णयों में स्पष्ट और समझाया गया है।एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. थिम्माजम्मा और अन्य।2 वसीयत के निष्पादन को मान्य करने के लिए वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकताओं पर विस्तार करते हुए, इस न्यायालय ने वसीयत के बीच असमानताओं पर प्रकाश डाला था जो एक वसीयतनामा है।

जी.

2 ए. आई. आर 1959 एस. सी 443

एच.

संप्रेषण के अन्य दस्तावेजों की तुलना में, इस बात पर जोर देते हुए कि वसीयतकर्ता जो दुनिया से चला गया है, उसके बाद न्यायालय के समक्ष वसीयत पेश की जाती है, यह नहीं कह सकता है कि वसीयत उसकी अपनी है या यह वही नहीं है।यह तथ्य उस प्रश्न पर निर्णय के लिए

गंभीरता के एक तत्व का परिचय देता है जहां प्रस्तावित वसीयत को दिवंगत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत या वसीयतनामा के रूप में साबित किया जाता है।इसलिए, वसीयत को सफल बनाने और साबित करने के लिए प्रस्तावक को संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह साबित करना आवश्यक है कि (i) वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे; (ii) उस समय वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक स्थिति में था; (iii) वसीयतकर्ता ने स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझा; और (iv) कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए थे।आम तौर पर, जब वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य निष्पक्ष, संतोषजनक और वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और कानून द्वारा आवश्यक उसके हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पर्याप्त होता है, तो अदालतें प्रस्तावक के पक्ष में निष्कर्ष निकालना उचित ठहराएंगी।इस तरह के साक्ष्य आवश्यक तथ्यों को साबित करने के लिए प्रोपाउंडर पर जिम्मेदारी डालेंगे।साथ ही, इस न्यायालय ने कहा कि वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों को हटाना आवश्यक है और इसलिए इस आशय के साक्ष्य की सराहना के लिए कोई कठोर और तेज़ या कठोर नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

14. जसवंत कौर बनाम अमृत कौर और अन्य 3 में, यह आयोजित किया गया था।

यह कि उत्तराधिकार विच्छेद से उत्पन्न संदेह केवल प्रस्तावक के इस दावे से दूर नहीं होता है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं या वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक स्थिति में था जब वसीयत वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चों जैसे लोगों को विरासत से बेदखल कर देती है जिन्हें आम तौर पर संपत्ति में उनका उचित हिस्सा मिलता था।साथ ही, वसीयतकर्ता के पास उन्हें बाहर करने के अपने कारण हो सकते हैं।इसलिए, वसीयतकर्ता की एक वैध अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले प्रस्तावक के लिए सभी वैध संदेहों को दूर करना अनिवार्य है।इससे पहले,

ई.

एफ.

सुरेंद्र पाल और अन्य।डॉ**. (**श्रीमती**)** सरस्वती अरोड़ा और

अन्य 4, इस न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावक को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और प्रासंगिक समय पर वसीयतकर्ता स्वस्थ और व्यवहार करने की स्थिति में था और उसने स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझा था, कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा की गवाही पर अपने हस्ताक्षर किए थे और कम से कम दो गवाहों ने

अपनी उपस्थिति में वसीयत को प्रमाणित किया है।हालाँकि, संदेह उत्पन्न हो सकता है जहाँ हस्ताक्षर संदिग्ध है या जब वसीयतकर्ता कमजोर दिमाग का है या

जी.

3 (1977) 1 एससीसी 369 4 (1974) 2 एससीसी 600 ए

एच.

881

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

अपनी संपत्ति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले शक्तिशाली दिमागों से भयभीत है या जहां स्वभाव अप्राकृतिक, असंभव और अनुचित प्रतीत होता है या जहां वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और दिमाग पर संदेह करने के अन्य कारण हैं।प्रमाण की प्रकृति और गुणवत्ता को ऐसी अनिवार्यता के अनुरूप होना चाहिए ताकि किसी भी संदेह को दूर किया जा सके जो एक उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति, मौजूदा परिस्थितियों में कर सकता है।जहां किसी आक्षेपकर्ता द्वारा जबरदस्ती और धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, उसे साबित करने की जिम्मेदारी उस पर होती है और उसकी विफलता पर, वसीयत की जांच अनिवार्य रूप से तब दी जानी चाहिए जब यह स्थापित हो जाए कि वसीयतकर्ता के पास पूर्ण वसीयतनामा क्षमता थी और उसने वास्तव में वसीयत को स्वतंत्र इच्छा और दिमाग के साथ निष्पादित किया था।रवीन्द्र नाथ में

बी.

मुखर्जी और एक अन्य बनाम पंचानन बनर्जी **(**मृत**)** एल**.** आर**.** द्वारा

और अन्य 5, इस न्यायालय ने कहा था कि संदेह कम महत्वपूर्ण होगा यदि वसीयत पंजीकृत है और उप-पंजीयक प्रमाणित करता है कि इसे निष्पादक को पढ़ा गया था, जिसने ऐसा करने पर सामग्री को स्वीकार किया था।प्रत्येक मामले में, न्यायालय को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) के अधिदेश और आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

सी.

डी.

15. जगदीश चंद शर्मा बनाम नारायण सिंह सैनी (मृत)

एल. आर. और अन्य 6 के माध्यम से, इस न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया था कि प्रावधानों में विचार किया गया है कि वसीयत को वैध रूप से निष्पादित करने के लिए, वसीयतकर्ता को उस पर हस्ताक्षर करना होगा या अपना निशान लगाना होगा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।इसके अलावा, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निशान या उसके लिए

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को इस तरह रखा जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था।धारा 63 में आदेश दिया गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा है या उस पर अपना निशान लगाया है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को उस पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर और प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों और यह कि किसी विशेष रूप से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।वसीयत का निष्पादन और सत्यापन प्रकृति में अनिवार्य है और आवश्यक आवश्यकताओं का पालन करने में किसी भी विफलता और कमी के परिणामस्वरूप संपत्ति के निपटान के साधन को अमान्य कर दिया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

5 (1995) 4 एससीसी 459 6 (2015) 8 एससीसी 615

एच.

16. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 71, जो कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के प्रमाण से संबंधित हैं, निम्नानुसार पढ़िए:

“68. कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण

प्रमाणित किया।—यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम है:

बी.

बशर्ते कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किए गए किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के रूप में एक प्रमाणक गवाह को

बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।

सी.

* * *

डी.

71. गवाह को प्रमाणित करते समय सबूत फांसी से इनकार करता है।—अगर

सत्यापित करने वाला गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं है, इसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।"17. जगदीश चंद शर्मा (ऊपर) में साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 71 का उल्लेख करते हुए यह कहा गया थाः

ई.

" 22.2.इस प्रकार, ये वैधानिक प्रावधान कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि उसके निष्पादन को कम से कम एक सत्यापित गवाह द्वारा साबित किया जाए, यदि वह जीवित है, और शामिल कार्यवाही का संचालन करने वाली न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है।हालाँकि, इस कठोरता को उस दस्तावेज़ के मामले में कम किया जाता है जिसे सत्यापित करने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वसीयत नहीं, यदि इसे पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जब तक कि इस दस्तावेज़ का निष्पादन उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसे निष्पादित किया गया है।हालाँकि, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, परंतुक द्वारा दी गई परंतुक का कोई लाभ नहीं है।वसीयत का प्रमाण, जो दो गवाहों द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए कानून द्वारा आवश्यक एक दस्तावेज होने के नाते, संभावित क्षमता के साथ साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए, आवश्यक रूप से कम से कम एक प्रमाणित गवाह के माध्यम से इसके निष्पादन के प्रमाण की आवश्यकता होगी, यदि जीवित है, और संबंधित न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है।

एफ.

जी.

एच.

883

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

ए.

22.3.हालाँकि, धारा 71 में यह प्रावधान है कि यदि प्रमाणक गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं है, तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और अंतर्निहित विधायी उद्देश्य की परस्पर क्रिया अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन और अंतिम निष्कर्षों को दर्ज करने में दुर्जेय प्रासंगिकता होगी।इस पृष्ठभूमि में, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना समीचीन होगा।

बी.

XXX XXX XXX

57.1.आधार में देखे जाने पर, 1872 के अधिनियम की धारा 71 को अनिवार्य रूप से एक सख्त व्याख्या दी जानी चाहिए।इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति देने वाली दो आकस्मिकताएं, अर्थात्, प्रस्तुत किए गए प्रमाणक गवाह द्वारा निष्पादन को याद करने में इनकार या विफलता, इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1872 के अधिनियम की धारा 71 द्वारा दी गई सीमित स्वतंत्रता किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 63 और 1872 के अधिनियम की धारा 68 के सार और प्रभाव को नष्ट या कम नहीं करती है, एक महत्व का विस्तार करना होगा। वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित करने में एक प्रमाणक गवाह की विफलता और उक्त घटना से उसका इनकार या उसे याद करने में विफलता के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।इन दो शर्तों के लिए अतिरिक्त उदार लचीलेपन की अनुमति देने वाली कोई भी अनुचित संलिप्तता, अधिनियम की धारा 63 और 1872 अधिनियम की धारा 68 की भविष्यवाणी को अनुचित बना देगी।प्रस्तावक को 1872 के अधिनियम की धारा 71 के लाभ के लिए तभी शुरू किया जा सकता है जब सत्यापित करने वाला गवाह/गवाह, जो जीवित है/है और है/पेश किया जाता है और स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार/इनकार करता है या उक्त घटना को याद नहीं कर सकता है।न केवल, इस गवाह/गवाह को विश्वसनीय और निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करना चाहिए या इस तरह के तथ्य की वास्तविक भूल को प्रमाणित करना चाहिए।यदि गवाही सत्य की अवहेलना करने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन और सत्यापन का एक आकस्मिक विवरण दर्शाती है, और इस तरह कानून के अनुसार इन दो आवश्यक बातों को साबित करने में विफल रहती है, तो प्रस्तावक को 1872 अधिनियम की धारा 71 के आवरण के तहत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह की मंजूरी न केवल 1872 के अधिनियम की धारा 68 सहपठित अधिनियम की धारा 63 की योजना के साथ असंगत होगी, बल्कि इसकी सर्वोच्चता और पवित्रता भी समाप्त हो जाएगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

परिणाम, विधायी रूप से अभिप्रेत नहीं।यदि प्रोपाउंडर द्वारा प्रस्तुत गवाहों का साक्ष्य स्वाभाविक रूप से बेकार है और विश्वसनीयता में कमी है, तो 1872 के अधिनियम की धारा 71 का उपयोग उसे (प्रोपाउंडर को) स्थिति से बाहर निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है ताकि उसका पीछा किया जा सके।समग्र दृष्टिकोण में सच्चाई और वास्तविकता के किसी भी स्पर्श के अभाव में, इस प्रावधान को, जो अधिनियम की धारा 63 (सी) और 1872 अधिनियम की धारा 68 का विकल्प नहीं है, इस तरह के असफल सट्टा प्रयास के पूरक के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

बी.

57.2.1872 के अधिनियम की धारा 71, भले ही अधिनियम की धारा 63 और 1872 के अधिनियम की धारा 68 में निहित अधिदेश के परंतुक के समान मानी जाए, इसका निश्चित रूप से सामंजस्यपूर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे विकृत प्रभाव के साथ उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए।यह अंतर्निहित सिद्धांत अन्य बातों के साथ-साथ सी. आई. टी. बनाम एजेक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय में अंतर्निहित है।

सी.

एच. वेंकटाचल अयंगर (ऊपर) को संदर्भित करने के बाद, यह न्यायालय

डी.

जसवंत कौर (ऊपर) ने कानून के निम्नलिखित प्रस्ताव रखे थेः

“(1) आम तौर पर कहा गया है कि वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना पड़ता है, इस तरह के मामलों में विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा के रूप में लागू किया जाने वाला परीक्षण।जैसा कि अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होता है, इसलिए वसीयत के प्रमाण के मामले में, कोई भी गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण पर जोर नहीं दे सकता है।

ई.

(2) चूँकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में वसीयत को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम है।

एफ.

(3) अन्य दस्तावेजों के विपरीत, वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताती है और इसलिए वसीयत बनाने वाला कभी भी उन परिस्थितियों के बारे में गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है जिनमें वसीयत निष्पादित की गई थी।यह पहलू इस प्रश्न के निर्णय में गंभीरता के एक तत्व का परिचय देता है कि क्या प्रस्तावित दस्तावेज़ वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा साबित होता है।आम तौर पर, प्रोपाउंडर पर जो जिम्मेदारी होती है, उसे वसीयत बनाने में आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर निर्वहन के लिए लिया जा सकता है।

जी.

एच.

885

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा

ए.

(4) जिन मामलों में वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, वे एक अलग आधार पर खड़े हैं।एक अस्थिर हस्ताक्षर, एक कमजोर दिमाग, संपत्ति का एक अनुचित और अन्यायपूर्ण स्वभाव, प्रस्तावक स्वयं वसीयत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है जिसके तहत उसे पर्याप्त लाभ मिलता है और ऐसी अन्य परिस्थितियां वसीयत के निष्पादन के बारे में संदेह पैदा करती हैं।उस संदेह को केवल प्रस्तावक के इस दावे से दूर नहीं किया जा सकता है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं या वसीयतकर्ता वसीयत किए जाने के समय एक स्वस्थ और मन और स्मृति की स्थिति में था, या वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे जो आम तौर पर अपनी संपत्ति में अपना उचित हिस्सा प्राप्त करते थे, उन्हें बेदखल कर दिया गया था क्योंकि वसीयतकर्ता के पास उन्हें बाहर करने के अपने कारण हो सकते थे।संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति प्रारंभिक दायित्व को भारी बना देती है और इसलिए, ऐसे मामलों में जहां निष्पादन पर परिवेशक परिस्थितियां न्यायालय के संदेह को उत्तेजित करती हैं, प्रस्तावक को दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

(5) यह वसीयत के संबंध में है, जिसका निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है कि न्यायिक विवेक की संतुष्टि की परीक्षा विकसित की गई है।यह परीक्षण इस बात पर जोर देता है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, न्यायालय को एक गंभीर प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहा जाता है और संदिग्ध परिस्थितियों के कारण न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना पड़ता है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया है।

ई.

(6) यदि कोई कैविएटर वसीयत के निष्पादन के संबंध में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि का आरोप लगाता है, तो ऐसी दलीलें उसके द्वारा साबित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी दलीलों के अभाव में भी, वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियों में संदेह पैदा हो सकता है कि क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा था।और फिर यह मामले में सभी उचित संदेहों को दूर करने के लिए प्रोपाउंडर की प्रारंभिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है।"

एफ.

जी.

18. एम. बी. रमेश (ऊपर) में बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विष्णु मामले में व्यक्त किए गए विचार का उल्लेख किया गया था।

रामकृष्ण बनाम नाथू विठ्ठल और अन्य 7 जिसमें यह मनाया गया थाः

7 एयर 1949 BOM 266 A

एच.

"27. [...] हम वसीयत के मामले से निपट रहे हैं और हमें विवेक की न्यायालय के रूप में समस्या का समाधान करना चाहिए।यह हमें संतुष्ट करना है कि क्या प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ अंतिम वसीयत है और

गंगाबाई का वसीयतनामा।यदि हम पाते हैं कि वसीयतनामा की इच्छाओं को केवल कुछ तकनीकीता की कमी के कारण पराजित या विफल होने की संभावना है, तो हम विवेक की न्यायालय के रूप में ऐसा नहीं करेंगे।

बी.

इस तरह की घटना होने दें।हमने दूसरे मुद्दे पर श्री धारप को नहीं सुना है; लेकिन यह मानते हुए कि गंगाबाई के पास एक स्वस्थ और व्यवहार करने वाला दिमाग था और वह अपनी संपत्ति का निपटान करना चाहती थी जैसा कि उन्होंने वास्तव में किया है, केवल यह तथ्य कि वसीयत के प्रस्तावक धारा 63 की आवश्यकताओं का पालन नहीं करने और वसीयत को साबित करने में लापरवाही और घोर लापरवाही कर रहे थे, हमें इस बात से संतुष्ट करने के लिए आवश्यक सबूत मांगने से नहीं रोकना चाहिए कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था या नहीं।"

सी.

(जोर दिया गया) एम. बी. रमेश (ऊपर) में निर्णय भी जानकी को संदर्भित करता है

डी.

नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम 8 जिसमें संदर्भ के साथ

साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 71 में यह कहा गया थाः"22. [...]6. ... यह सच है कि हालांकि एक वसीयत को दो गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच करके साबित किया जा सकता है।

ई.

11. ... धारा 71 की सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब सत्यापित करने वाले गवाह, जिन्हें बुलाया गया है, इनकार करते हैं या अन्य साक्ष्य द्वारा इसे साबित करने के लिए दस्तावेज़ के निष्पादन को याद करने में विफल रहते हैं।...12. ... धारा 71 का कोई अनुप्रयोग नहीं है जब गवाह को प्रमाणित करने वाला, जिसे अकेले बुलाया गया है, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है और दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह की जांच नहीं की गई है, हालांकि उपलब्ध है।"

एफ.

एम. बी. रमेश (उपर्युक्त) में उपरोक्त पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, यह माना गया था किः

जी.

"28. जैसा कि इस न्यायालय ने एच. वेंकटचाला अयंगर और जसवंत कौर के मामले में भी कहा है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि क्या

वसीयत का विधिवत निष्पादन किया गया था, न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए।वसीयत से संबंधित मामलों में न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि मृतक की अंतिम वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज वसीयतकर्ता द्वारा है या नहीं, और क्या यह स्वतंत्र और स्वस्थ मन का उत्पाद है [जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गुरदेव कौर बनाम काकी के पैरा 77 में कहा गया है]।वर्तमान मामले में इन कारकों को लेकर कोई विवाद नहीं है।"

बी.

19. जगदीश चंद शर्मा (ऊपर) में एम. बी. रमेश (ऊपर) में मामले के तथ्यों का उल्लेख यह देखने के लिए किया गया था कि सत्यापित करने वाले गवाह द्वारा दिए गए कथन से उत्पन्न परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर, इस गवाह की ओर से वसीयतनामा की उपस्थिति में वसीयत पर अन्य प्रमाणित करने वाले गवाह द्वारा हस्ताक्षर के बारे में विशेष रूप से बताने की चूक इस तथ्य को याद रखने में विफलता के बराबर होगी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 की सहायता से किस कमी को पूरा किया जा सकता है। यह देखा गया कि एम. बी. रमेश (ऊपर) में वसीयत की वैधता को परिचर एकल तथ्यों के संदर्भ में बरकरार रखा गया था।

सी.

डी.

20. 1921 में धीरा सिंह बनाम मोती लाल और अन्य 9 मामले में जब कोई गवाह को प्रमाणित करने में विफल हो जाता है तो दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह से पूछताछ करने की आवश्यकता के सवाल पर, पटना उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने कहा था कि जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के तहत प्रमाणित करने वाले गवाह को न तो तलब किया गया था और न ही उससे पूछताछ की गई थी, वहां धारा 71 का सहारा लेना अस्वीकार्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के तहत, वादी/प्रस्तावक पर प्रमाणक गवाह को बुलाना अनिवार्य है, भले ही वह प्रतिवादी/विपरीत पक्ष हो।यह देखा गयाः

ई.

एफ.

1. [...] धारा 68 में यह अपेक्षा की गई है कि कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, और धारा 71 में कहा गया है कि यदि प्रमाणित करने वाला गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं करता है, तो उसका निष्पादन अन्य सबूतों द्वारा साबित किया जा सकता है।

जी.

2. वर्तमान मामले में चारों तरफ से एक मामला तुला सिंह बनाम गोपाल सिंह 38 इंड का है। कैस। 604:1 पी. एल. जे 389:2 पी. एल. डब्ल्यू. 353.उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय लिया कि साक्ष्य की धारा 68

9 63 इंड. कैस। 266

एच.

888

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 18 एस सी आर।

अधिनियम अनिवार्य था और जब तक कोई गवाह जीवित था और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन था, तब तक किसी भी दस्तावेज का उपयोग सबूत में नहीं किया जा सकता था जिसे कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है जब तक कि ऐसे गवाह को नहीं बुलाया जाता है।तथ्य यह है कि, जब जहाज (एस. आई. सी.-हमला) किया जाता है, तो वह शत्रुतापूर्ण साबित होगा, इस कर्तव्य से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले पक्ष को माफ नहीं करता है।इसलिए, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश का यह सोचना गलत था कि प्रतिवादी संख्या 2 को बुलाना आवश्यक नहीं था।

बी.

21. विष्णु रामकृष्ण (ऊपर) जैसे पहले के अधिकांश निर्णय माउंट जैसे कुछ अपवादों के साथ धीरा सिंह (ऊपर) में अनुपात का पालन करते हैं।

मंकी कौर बनाम हंसराज सिंह और अन्य 10.समस्या हल हो गई है।

सी.

जानकी नारायण भोइर (उपरोक्त) में विवाद और बहस से परे, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 का खंड (सी) दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा गवाह के रूप में वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता और आदेश देता है,

हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 उन लोगों को रियायत देती है जो कम से कम एक प्रमाणक गवाह की जांच करके कानून की न्यायालय में वसीयत साबित करना और स्थापित करना चाहते हैं जो वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकते हैं।, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (ग) द्वारा अनुध्यात तरीके से दो गवाहों द्वारा सत्यापन और इसका निष्पादन। हालांकि, जहां जांच किए गए गवाह का प्रमाणन करने वाला एक गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, तो दूसरे उपलब्ध प्रमाणन करने वाले गवाह को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 द्वारा अनिवार्य प्रमाण की आवश्यकता का पालन करने के लिए सभी मामलों में इसे पूरा करने के लिए अपने साक्ष्य के पूरक के रूप में बुलाया जाना चाहिए। यह आयोजित किया गया थाः

डी.

ई.

“11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनिवार्य प्रावधानों के लिए एक सुरक्षा के रूप में है, ताकि ऐसी स्थिति का सामना किया जा सके जहां सत्यापित करने वाले गवाहों को जीवित बुलाकर वसीयत के निष्पादन को साबित करना संभव नहीं है।इस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रमाणक गवाह वसीयत के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं है, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है।धारा 71 की सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब सत्यापित करने वाले गवाह, जिन्हें बुलाया गया है, इनकार करते हैं या अन्य साक्ष्य द्वारा इसे साबित करने के लिए दस्तावेज़ के निष्पादन को याद करने में विफल रहते हैं।धारा 71 का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जिसमें साक्ष्य देने वाला एक गवाह, जिसे अकेले तलब किया गया था, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है और अन्य साक्ष्य देने वाले गवाह, हालांकि उसके निष्पादन को साबित करने के लिए उपलब्ध हैं, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, नहीं किए गए हैं।

एफ.

जी.

10 ए. आई. आर. 1938 पैट 301 ए

एच.

889

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

न्यायालय में तलब किया गया।धारा 71 की भाषा से यह स्पष्ट है कि यदि कोई प्रमाणक गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं है, तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है।हालांकि, ऐसे मामले में जहां परीक्षण किया गया एक

प्रमाणक गवाह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार साबित होती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या उसे याद नहीं है, तो वसीयत के निष्पादन को अन्य प्रमाणित करने वाले गवाहों के साक्ष्य के साथ अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, हालांकि वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए जांच के लिए उपलब्ध है।एक अन्य कारण यह है कि जब परीक्षण किया गया गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, तो अन्य उपलब्ध प्रमाणक गवाहों को क्यों बुलाया जाना चाहिए, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टान्त (जी) के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के दावे को टालना है। दी गई परिस्थितियों में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सर्वोत्तम संभव साक्ष्य प्रस्तुत करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। धारा 71 अनुमेय है और एक सक्षम करने वाली धारा है जो किसी पक्ष को कुछ परिस्थितियों में अन्य साक्ष्य देने की अनुमति देती है।लेकिन धारा 68 केवल एक सक्षम करने वाली धारा नहीं है।यह आवश्यक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जिनका न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने से पहले अवलोकन करना होता है कि कोई दस्तावेज़ साबित हो गया है।धारा 71 का उद्देश्य सहायता प्रदान करना और एक ऐसे पक्ष की सहायता करना है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन असहायता और असंभवता की स्थिति में चला गया था, जिसे "अन्य साक्ष्य" द्वारा भी उचित निष्पादन साबित करने के किसी अन्य साधन के बिना निराश नहीं किया जा सकता है।साथ ही धारा 71 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 63 सहपठित धारा 68 के तहत किसी पक्ष को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सके और उसे अपनी इच्छा या पसंद पर एक आवश्यक गवाह उपलब्ध कराने या न करने की अनुमति दी जा सके जो अन्यथा संबंधित न्यायालय की अधिकारिता के लिए उपलब्ध हो और उसकी चूक या चूक पर प्रीमियम प्रदान किया जा सके, ताकि वह वसीयत के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित कानून के जनादेश को मंजूरी दे सके।" इस फैसले ने मंकी कौर (उपरोक्त) के फैसले को खारिज कर दिया और विष्णु रामकृष्ण (उपर्युक्त) के अनुपात को इस प्रभाव से मंजूरी दे दी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 की मांग तब की जा सकती है जब जिन सत्यापित गवाहों को बुलाया जा रहा था, वे या तो अपने हस्ताक्षर से इनकार करने, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से इनकार करने या वसीयत के बारे में खराब स्मृति के कारण वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहे हों।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

दस्तावेज़ का निष्पादन।धारा 71 का कोई अनुप्रयोग नहीं है जब केवल एक सत्यापित करने वाला गवाह जिसे बुलाया गया था और परीक्षण किया गया था, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है और दूसरे उपलब्ध प्रमाणित करने वाले गवाह को तलब नहीं किया गया था।

22. जानकी में अनुपात को बेंगा बेहरा और एक अन्य बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य **11** में दोहराया गया था।यह फैसला भी

इस मुद्दे की जांच करता है और सवाल करता है कि क्या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के मामले में एक उप-पंजीयक को संभवतः एक गवाह के रूप में माना जा सकता है।पंजीकरण अधिनियम की धारा 52 और 58 का संदर्भ यह देखने के लिए दिया गया था कि पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर का समर्थन करना और उस प्रभाव का समर्थन करना है, यानी केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रवेश या निष्पादन का समर्थन करना जिसने पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत किया था।पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज़ के निष्पादन के संदर्भ में पंजीकरण अधिकारी की उपस्थिति में किए गए धन के भुगतान या माल की डिलीवरी का समर्थन और प्रमाणन भी कर सकता है।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अर्थ में 'गवाह को प्रमाणित करना' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'किसी तथ्य की गवाही देना'।दस्तावेजों के सत्यापन की दो वैध शर्तें हैं-(i) दो या दो से अधिक सत्यापित करने वाले गवाहों ने निष्पादक को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते देखा है; (ii) उनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।इसके अलावा और महत्वपूर्ण रूप से, प्रमाणन के लिए शत्रुतापूर्ण प्रमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात, एक व्यक्ति एक गवाह के रूप में इसे प्रमाणित करने के इरादे से एक दस्तावेज़ पर अपना हस्ताक्षर करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में किसी दस्तावेज़ पर अपना हस्ताक्षर करता है, तो उसे प्रमाणित करने वाला गवाह नहीं माना जा सकता है जैसा कि धरम सिंह बनाम एसो और अन्य 12 में माना गया था।इसी तरह, एक लेखक या एक अधिवक्ता जिसने दस्तावेज़ का मसौदा तैयार किया है, वह प्रमाणक गवाह नहीं हो सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जगदीश चंद शर्मा (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया था, प्रमाणन के लिए आवश्यक है कि

गवाह को अपनी हस्ताक्षर शत्रुता प्रमाणन, यानी यह प्रमाणित करने के उद्देश्य से कि उसने निष्पादक चिन्ह देखा है या उससे अपने हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है, डालनी चाहिए थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

23. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हमारे समक्ष प्रत्यर्थी सुरिंदर पाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अधिवक्ता श्री एम. एन. शर्मा को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए समन/नोटिस जारी किया गया था, लेकिन

11 (2007) 9 एस. सी. सी. 728 12 1990 पूरक एस. सी. सी. 684 ए.

एच.

891

राज कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर पाल शर्मा ए

उन्हें सेवा नहीं दी जा सकी और इसलिए उनकी जाँच नहीं की गई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रमेश कुमार को तलब या पूछताछ नहीं की गई थी क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि राज कुमारी के पति थे और उन्होंने वसीयत के निष्पादन का समर्थन नहीं किया होगा।उच्च न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकृत की जा रही वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के संदर्भ में साबित हुई थी। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष अस्वीकार्य है, क्योंकि रमेश कुमार की जांच के बिना साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 का सहारा लेना अस्वीकार्य है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमेश कुमार राज कुमारी के पति हैं या नहीं।साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 एक बार और यदि सभी प्रमाणक गवाह दस्तावेज़, यानी वसीयत के निष्पादन से इनकार करते हैं या याद नहीं करते हैं, तो लागू होगी।उस स्थिति में, निष्पादन को अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है।प्रत्यर्थी स्वीकार करता है कि हालांकि रमेश कुमार को एक गवाह के रूप में तलब नहीं किया गया था और गवाह के रूप में गवाही देने के लिए कहा गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि रमेश कुमार ने एक प्रमाणक गवाह के रूप में वसीयत के निष्पादन से इनकार किया था या उसे याद नहीं था।

बी.

सी.

24. यहां तक कि "अन्य साक्ष्य" के सवाल पर भी हमें गंभीर और गंभीर आपत्ति है।यह स्पष्ट है कि राज कुमारी और सुरिंदर पाल शर्मा के दिवंगत पिता और अपीलार्थियों मीनाक्षी शर्मा और वीणा मल्होत्रा के दादा ने विस्थापित व्यक्ति होने के कारण दो कमरों के आवास के लिए आवेदन किया था जो उनकी पत्नी सुहागवंती को 15.03.1972 पर आवंटित किया गया था क्योंकि तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।आबंटन के नियमों और शर्तों में से एक यह था कि पहली किश्त के भुगतान पर और यह वचन देने पर कि वह आबंटन पत्र के तीन दिनों के भीतर पदम चंद भूमि में क्वार्टर खाली कर देगी, किरायेदारी का कब्जा जारी किया जाएगा।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि सबसे बड़े भाई मदन लाल आवंटन के समय कमा रहे थे और सेवा में थे।इस बात के भी प्रमाण हैं कि मदन लाल ने अपनी बहनों राज कुमारी और पूरन देवी की शादी के समय योगदान दिया था और आर्थिक रूप से मदद की थी।

डी.

ई.

एफ.

25. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वसीयत पंजीकृत की गई थी, लेकिन कई परिस्थितियाँ हैं जो वसीयत पर संदेह पैदा करती हैं।राज कुमारी ने सुहागवंती की विवादित वसीयत के संदर्भ में अपनी जिरह में कहा हैः

जी.

“प्र. मैंने आपको उस माँ का नाम दिया जिसका नाम श्रीमती है। सुहागवंती ने आपके भाई श्री सुरेंद्र पाल के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी और इसे आपके पति श्री द्वारा सत्यापित किया गया था। रमेश कुमार प्रमाणक गवाह के रूप में?मेरी माँ ने मेरे पति के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे जो इस बहाने से एक दस्तावेज़ पर पूरी तरह से अनपढ़ हैं कि उनका इनकार करने का इरादा है।

एच.

मेरी भतीजी सुश्री वीणा मल्होत्रा, जिन्होंने अपने दम पर शादी की थी।यह तथ्य मेरी माँ ने मुझे उसी दिन बताया था जब वह उप-पंजीयक के कार्यालय से लौटी थीं।

यह सही है कि मेरे पति ने उप-पंजीयक के कार्यालय में हस्ताक्षर किए हैं।खण्ड. लेकिन उनके हस्ताक्षर बहाने से प्राप्त किए गए थे जैसा कि मैंने ऊपर कहा है।

बी.

यह सही है कि मार्क ए पर मेरी माँ की तस्वीर चिपकाई गई है। मैं मार्क ए पर अपने पति के हस्ताक्षर की पहचान नहीं कर सकता। मैंने अपने पति को कभी किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते नहीं देखा है।यह कहना गलत है कि मेरे पति ने मार्क ए पर बिंदु बी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने मार्क ए पर बिंदु बी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना गलत है कि सूट संपत्ति की किश्तों का भुगतान मेरे भाई श्री द्वारा किया गया था। सुरेंद्र पाल शर्मा।खण्ड. मेरी माँ किश्तों का भुगतान करती थीं और उनकी मृत्यु के बाद सुरेंद्र पाल ने 1 या 2 किश्तों का भुगतान किया है।उन्होंने फिर कहा, मैं किश्तों का भुगतान करने के लिए अपनी मां के साथ टाउन हॉल जाता था।"

सी.

डी.

26. दीवानी मुकदमा दायर करने से पहले, राज कुमारी ने दिनांक 25.09.2000 (प्रदर्शनी पी-1/1) पर एक कानूनी नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुहागवंती की निर्वसीयत मृत्यु हो गई है और वे अपने पीछे चार बच्चे, अर्थात् राज कुमारी, सुरिंदर पाल शर्मा, मदन लाल को छोड़ गई हैं, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी पत्नी संतोष रानी और पूरन देवी ने किया है।इसके अलावा, सुहागवंती की मृत्यु के बाद, उन्होंने बार-बार सुरिंदर पाल शर्मा से संपत्ति को सीमा और सीमा के साथ विभाजित करने और उन्हें उचित हिस्सा देने का अनुरोध किया था।सुरिंदर पाल शर्मा ने इसके बाद 'प्रदर्शनी पीडब्लू-1/2' चिह्नित अनिर्दिष्ट पत्र के माध्यम से कानूनी नोटिस का जवाब दिया था, जिसमें स्वीकार किया गया था कि राज कुमारी उनकी बहन थी और यह मकान उनकी मां को आवंटित किया गया था।हालाँकि, उन्होंने दावा किया था कि मकान एक पूर्ण मालिक के रूप में उनका है और इसलिए, विभाजन का कोई सवाल ही नहीं था।उक्त उत्तर का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:"इस कारण से कि उक्त संपत्ति पूरी तरह से मेरी है, मेरी सम्मानित माँ श्रीमती के जीवनकाल के दौरान। सुहागवंती और उक्त संपत्ति पूर्ण स्वामित्व होने के नाते मेरी है, इसलिए उक्त संपत्ति के विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है।यह मेरी माँ के जीवन काल के दौरान मेरे कब्जे में है और पूरी तरह से मेरे नाम के सभी सरकारी अभिलेखों में है।

ई.

एफ.

जी.

इस प्रकार आपके मुवक्किल के आगे के नोटिस या किसी भी पत्र का जवाब देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है और वह इसके बारे में पूरी तरह से जानती है।यदि आप उच्च प्राधिकारी से संपर्क करना चाहते हैं तो यह ए की जिम्मेदारी है।

आपके मुवक्किल को सभी लागतों, कानूनी खर्चों, जो भी हो, को वहन करना चाहिए और इस संबंध में मुझे जो भी नुकसान हो सकता है या जो कुछ भी हो सकता है, वह मेरा खर्च भी वहन करना चाहिए।"

स्पष्ट रूप से, सुरिंदर पाल शर्मा ने अपने जवाब में वसीयत का प्रस्ताव और उल्लेख नहीं किया था, जिसका बचाव उन्होंने अपने लिखित बयान में पहली बार किया था।यह सुरिंदर पाल शर्मा की जिरह से भी स्पष्ट है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि वसीयत को राज कुमारी ने न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी क्योंकि उन्हें वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान वसीयत के बारे में पता चला था (कृपया पेपर बुक के पृष्ठ 97 को देखें)।सुरिंदर पाल शर्मा इस प्रकार स्वीकार करते हैं कि एक लिखित वसीयत के माध्यम से उनके पक्ष में दिए गए दान के बारे में पता नहीं था या राज कुमारी की जानकारी में नहीं था, यह एक आश्चर्यजनक बयान है क्योंकि रमेश कुमार राज कुमारी के पति हैं।समान रूप से दिलचस्प सुरिंदर पाल शर्मा का अपनी जिरह में बयान है कि उन्होंने जवाब (कानूनी नोटिस) का मसौदा तैयार करते समय अपने वकील को सूचित नहीं किया था कि उनकी माँ द्वारा निष्पादित वसीयत उनके पास थी।सुरिंदर पाल शर्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि 1972 में वह छठी कक्षा में पढ़ रहे थे और उनकी उम्र मुश्किल से 11 से 12 वर्ष थी (यह बयान प्रदर्शनी डीडब्ल्यू-1/पी-3 में सुरिंदर पाल शर्मा की उम्र से भिन्न है लेकिन हम मौखिक गवाही में बयान को स्वीकार करेंगे)।सुरिंदर पाल शर्मा ने दावा किया था कि वह साइकिलों की मरम्मत करेंगे और तिमाही की किश्तों के भुगतान में योगदान दिया था।यह उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है कि हम वसीयत, उसके शब्दों और सामग्री की जांच करेंगे।

बी.

सी.

डी.

ई.

27. कथित विल दिनांकित 02.01.1992 एक छोटी और एक विषम है।पूर्णता के लिए, हम इसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

"

किया जाएगा

एफ.

यह "विल डीड" दिल्ली में जनवरी 1992 के इस दूसरे दिन स्वर्गीय श्री हरबंस लाल आर/ओ एच. नंबर 26, डुप्लेक्स फ्लैट, गुर मंडी, दिल्ली-7 से लगभग 65 वर्ष की आयु की श्रीमती सुहाग वंती द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे इसके बाद टेस्टेटर कहा जाता है।

जी.

की पसंद में

श्री सुरिंदर लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री हरबंस लाल पुत्र एच. 26, डुप्लेक्स फ्लैट, गुर मंडी, दिल्ली-7, जिसे इसके बाद गवाही कहा जाता है।

एच.

जीवन संक्षिप्त और अनिश्चित है, भगवान जानते हैं कि यह कब समाप्त हो सकता है।इसलिए मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति के साथ और दूसरों से किसी भी बल या मजबूरी के बिना और अपने मन की अच्छी स्थिति में यह वसीयत निम्नानुसार करता हूं:-

जबकि I वसीयतकर्ता मालिक है और 80 फीट भूमि क्षेत्र के एक टुकड़े पर निर्मित No.26 वाली निर्मित संपत्ति के कब्जे में है, जो डुप्लेक्स फ्लैट, गुर मंडी, दिल्ली-7 के रूप में जानी जाने वाली आबादी में स्थित है और निम्नानुसार घिरी हुई है:-

बी.

East.Other गुण

पश्चिम।अन्य संपत्ति

सी.

उत्तर. सड़क

दक्षिण. सड़क

जबकि मैं वसीयतकर्ता एतद्द्वारा यह वसीयत करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद उपरोक्त संपत्ति उपरोक्त गवाही को मिल जाएगी और हस्तांतरित हो जाएगी, उपरोक्त संपत्ति का एकमात्र और पूर्ण मालिक होगा।

डी.

गवाहः-

परीक्षक

एसडी/-

एसडी/-

ई.

श्री रमेश कुमार

श्रीमती. सुहागवती

एस/ओ श्री राम लाल शर्मा

आर/ओ एच. एन. 10/4, गांधी नगर, गीता कॉलोनी, दिल्ली।

"

28. कथित रूप से वसीयत करने वाली वसीयत को विचित्र रूप से वसीयत विलेख के रूप में वर्णित किया गया है।यह संभवतः बताता है कि सुरिंदर पाल शर्मा ने अपने जवाब में यह दावा क्यों किया था कि वह मां सुहागवंती के जीवनकाल में भी मकान के मालिक थे।यह इस संदर्भ में है कि हमने राज कुमारी और सुरिंदर पाल शर्मा की गवाही के विभिन्न हिस्सों को पढ़ा है; नोटिस और यह मानने के लिए जवाब कि इसमें गंभीर संदेह है कि क्या "विल डीड" को निष्पादित किया गया था और यह एक "विल" है जैसा कि इसका तात्पर्य है।वीणा मल्होत्रा की इच्छा के अनुसार उनकी शादी को चुनौती नहीं दी गई है।वसीयतकर्ता एक अनपढ़ महिला थी।भले ही हमें वसीयतकर्ता और गवाहों के हस्ताक्षर स्वीकार करने हों, हम "अन्य सबूतों" को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सुहागवंती और उनके परिवार के सदस्य निष्पादित दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाए थे।वहाँ पर्याप्त और ए हैं

एफ.

जी.

एच.

वसीयत के वैध रूप से संदेह करने और उसके निष्पादन पर सवाल उठाने के अच्छे कारण हैं, जिसे सुरिंदर पाल शर्मा वसीयत के प्रस्तावक के रूप में इस न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए

पीछे हटाने और हटाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था। इन कारणों से, हम यह मानेंगे कि वसीयत का निष्पादन साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के संदर्भ में "अन्य साक्ष्य" द्वारा साबित नहीं हुआ है।

बी.

29. सभी कोणों से देखने और जांच करने पर, हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया जाना चाहिए।तदनुसार, हम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-03, उत्तरी जिला, रोहिणी जिला न्यायालय, नई दिल्ली की न्यायालय द्वारा पारित 17.01.2018 के फैसले और डिक्री को बहाल करते हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.